

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 261 सन 2019

अनवान :-

1. भजनलाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. नेतराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी न्योलखी हाल निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
  2. सुशीला 3 समेस्ता पुत्रिया भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
  4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
  5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
- असल प्रतिवादीगण
6. रचना पत्नी भजनलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
  7. ममता पत्नी नेतराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
  8. कृष्णा पत्नी नेतराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
  9. लिच्छमा पत्नी नेतराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदास अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 19/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/43 की कुल 3.7934 हैक भूमि में से 160 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 52/54 की कुल 5.0594 हैक में से 1/13 हिस्सा व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 345/311 की कुल 2.2726 हैक व रोही मौजा प्रेमपुरा के खाता संख्या 48/100 की कुल 6.3230 हैक में से 3794/6323 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लेघान के खाता संख्या 10.1930 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा दुरजा वल्द डुगर व दादी शान्ति के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा/दादी दुरजा वल्द डुगर व दादी शान्ति के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा/दादी दुरजा वल्द डुगर व दादी शान्ति के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 7, 8, 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2, 3 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ता 9 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता दुरजा वल्द डुगर के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 ,7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/43 की कुल 3.7934 हैक् भूमि में से 160 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 52/54 की कुल 5.0594 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 345/311 की कुल 2.2726 हैक् व रोही मौजा प्रेमपुरा के खाता संख्या 48/100 की कुल 6.3230 हैक् में से 3794/6323 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लेधान के खाता संख्या 10.1930 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा दुरजा वल्द डुगर व दादी शान्ति के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा/दादी दुरजा वल्द डुगर व दादी शान्ति के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा/दादी दुरजा वल्द डुगर व दादी शान्ति के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 ,7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/43 की कुल 3.7934 हैक् भूमि में से 160 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 52/54 की कुल 5.0594 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 345/311 की कुल 2.2726 हैक् व रोही मौजा प्रेमपुरा के खाता संख्या 48/100 की

कुल 6.3230हैक में से 3794/6323 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लेधान के खता संख्या 10.1930हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्बत 2010 से 2013 रोही मौजा ननाउ के अनुसार वाद भूमि वादी के पूर्वज दुरजा वल्द डुगर के नाम से दर्ज थी एवं रोही मौजा ढाणी लेधान एवं प्रेमपुरा की भूमि दादी शान्ति वेवा अमरसिंह के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा/दादी के नाम से दर्ज है वादी के दादा/दादी के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार न्यागत नियमों के तहत वर्ग प्रथम में जीवित पुत्र की पत्नि का उल्लेख नहीं है अर्थात् वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ही हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2,3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3,6 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 345/311 के खसरा न0 2/3 की 2.2760हैक व रोही मौजा प्रेमपुरा के खाता संख्या 48/100 की कुल 6.3230हैक में से 3794/6323 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1,2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा ढाणी लेधान के खाता संख्या 123/119 की कुल 10.1930हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/43 की कुल 3.7934हैक में से 140 हिस्सा, व खाता संख्या 52/54 की कुल 5.0594हैक में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भजनलाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नेतराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी न्योलखी हाल निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
  2. सुशीला 3 समेस्ता पुत्रिया भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
  4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
  5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
- असल प्रतिवादीगण
6. रचना पत्नी भजनलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
  7. ममता पत्नी नेतराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
  8. कृष्णा पत्नी नेतराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
  9. लिछमा पत्नी नेतराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या- 261 सन 2019 निर्णय दिनांक- 19/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निषटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 345/311 के खसरा न0 2/3 की 2.2760 हैक् व रोही मौजा प्रेमपुरा के खाता संख्या 48/100 की कुल 6.3230 हैक् में से 3794/6323 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1, 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा ढाणी लेघान के खाता संख्या 123/119 की कुल 10.1930 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/43 की कुल 3.7934 हैक्, में से 140 हिस्सा, व खाता संख्या 52/54 की कुल 5.0594 हैक् में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलमन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )